विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदुर्ग / 2026 / 234

दुर्ग, दिनांक 27/7/26

(अध्यक्ष श्री पी. वी. सजीव)

(सदस्य श्रीमती ममता कश्यप)

प्रकरण क्रमांक 108

दिनांक 08 / 05 / 2026

अधिक्षण यंत्री

नगर निगम भिलाई

बी.पी.क्रमांक – **1006622103**

आवेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट

2. सहायक यंत्री, कोहका जोन अनावेदकगण

अनावेदकगण

आदेश

आज दिनांक 27 / 07 / 2026 को पारित किया गया

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत जल कार्य हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1006622103, स्वीकृत भार 8 एच.पी., में विद्युत बिल सही नहीं होने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2 निर्विवाद तथ्य

मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

1. उपरोक्त विद्युत कनेक्शन जल कार्य के प्रयोजन हेतु स्थापित है।
2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 8 एच.पी. है।
3. जून 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक की शिकायत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अगस्त 2024 से मई 2025 की अवधि में मीटर डिफेक्टिव रहने के दौरान की गई बिलिंग में औसत खपत का आकलन बिना किसी ठोस एवं युक्ति संगत आधार के किया गया है तथा उक्त बिलिंग में सुधार की आवश्यकता है।

आवेदक द्वारा यह भी आपत्ति की गई है कि उक्त कनेक्शन का उपयोग जल कार्य हेतु किया जाता है तथा मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया है। आवेदक के अनुसार उक्त पावर फैक्टर सरचार्ज गलत रूप से लगाया गया है तथा लागू टैरिफ के अनुसार इसे निरस्त कर संबंधित राशि का समायोजन/वापसी किया जाना चाहिए।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन का जनवरी 2023 से मई 2026 तक का बिलिंग डाटा प्रस्तुत किया गया है। अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर अगस्त 2024 से मई 2025 तक डिफेक्टिव रहा तथा जून 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं –

1. क्या मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि में जारी विद्युत बिल सही एवं युक्तिसंगत था?
2. क्या उक्त अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग किया जाना उचित था?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्र एवं प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि उपभोक्ता का मीटर अगस्त 2024 से मई 2025 की अवधि में डिफेक्टिव रहा।

उक्त अवधि में अनावेदक द्वारा मासिक औसत खपत लगभग 106 से 190 यूनिट के मध्य निर्धारित कर बिलिंग की गई है। तत्पश्चात जून 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के बाद उपलब्ध वास्तविक खपत के आंकड़ों का परीक्षण करने पर औसत खपत लगभग 100 से 185 यूनिट के मध्य पाई गई है।

इस प्रकार डिफेक्टिव मीटर की अवधि में निर्धारित औसत खपत स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध खपत के अनुरूप है। दोनों अवधियों की खपत में कोई ऐसी महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है, जिससे यह निष्कर्ष निकले कि डिफेक्टिव मीटर की अवधि में औसत खपत का निर्धारण अनुचित अथवा अत्यधिक किया गया था।

अतः फोरम के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर डिफेक्टिव मीटर की अवधि में निर्धारित औसत खपत में किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई जाती है।

फलतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष यह है कि डिफेक्टिव मीटर की अवधि में औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग में कोई प्रमाणित अनियमितता नहीं है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत मीटर गणना पत्रक एवं बिलिंग अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि अगस्त 2024 से मई 2025 की डिफेक्टिव मीटर अवधि में उपभोक्ता के बिल में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया है।

जब मीटर डिफेक्टिव स्थिति में था और उक्त अवधि के वास्तविक पावर फैक्टर से संबंधित विश्वसनीय मीटर आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, तब उस अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज की वसूली को उचित नहीं माना जा सकता।

अतः अगस्त 2024 से मई 2025 की डिफेक्टिव मीटर अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष आवेदक के पक्ष में दिया जाता है।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है –

1. बी.पी. क्रमांक 1006622103 में अगस्त 2024 से मई 2025 तक की डिफेक्टिव मीटर अवधि में निर्धारित औसत खपत लगभग 106 से 190 यूनिट प्रतिमाह के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों

के आधार पर कोई विसंगति नहीं पाई गई है। अतः इस संबंध में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

2. अगस्त 2024 से मई 2025 की डिफेक्टिव मीटर अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को पूर्णतः निरस्त किया जाता है।

3. अनावेदकगण उक्त अवधि के पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि का पुनर्गणना कर उसे उपभोक्ता के आगामी विद्युत बिल में समायोजित करें अथवा, यदि लागू नियमों के अनुसार आवश्यक हो, तो उक्त राशि वापस करें।

4. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी प्रति आवेदक/उपभोक्ता को उपलब्ध कराएं तथा आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

5. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

6. आदेश पारित

7. प्रकरण निराकृत

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवार.ा फोरम दुर्ग

(पी.वी.सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग